प्रेषक,

श्री प्रकाश गुप्ता,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक 01 फरवरी ~~जनवरी~~, 2024

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पी0 सी0 पी0 एन0 डी0 टी0 में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/2738 दिनांक 14.11.2023 एवं पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/2946 दिनांक 21.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पी0 सी0 पी0 एन0 डी0 टी0 में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में शासकीय आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) पी0 जी0-2023 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में उक्त छः मासिक पी0 सी0 पी0 एन0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश के अनुसार अविलम्ब काउंसिलिंग कराने का कष्ट करें:-

1. अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा स्टेट मेरिट सूचीः -

नीट पी0 जी0-2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण/धरोहर धनराशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0 आई0 सी0) National Informatics Center (NIC), योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। काउंसिलिंग हेतु मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा एन0 आई0 सी0 के सहयोग से तैयार की जायेगी।

2. अर्हताएं/अर्नहताएं: -

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी0 जी0-2023 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित

किया गया हो।

- यू0 पी0 नीट पी0 जी0 2023 की काउन्सिलिंग हेतु शासनादेश दिनांक 13. 07.2023 द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही ऐसे अभ्यर्थी जिनकी इंटर्नशिप दिनांक 11 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो चुकी है , वह काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना तथा उ 0 प्र 0 मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी , जो वर्तमान में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

3. पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि :-

- पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क रू0 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) जमा करते हुये पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।
- पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।
- जिन अर्भ्यिर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जायेगा, उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, तो ऐसी दशा मे उनकी धरोहर धनराशि जिस एकाउन्ट से भुगतान किया गया है , उसी एकाउन्ट में नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

4. आरक्षण:-

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम की सीटों पर आरक्षण निम्नानुसार देय होगा:-

(क) उर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण:-

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण:-

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	5. प्रतिशत

- वर्तमान में पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध 12 सीटों के अन्तर्गत ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) हेतु नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान करते हुए काउंसिलिंग कराई

जाए ।

- स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कांवत बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय , इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगे।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे। (एम0सी0सी0 पत्र संख्या- U-12021/02/2023-MEC Dated 27.06 .2023)
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल , 2023 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-303/71-2-2016 -178/2015 दिनांक 27 जनवरी 2016 के क्रम में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु उ0प्र0 राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य राजकीय सेवाओं में सेवारत् अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

5. कांउसिलिंग एवं आवंटन प्रक्रियाः -

- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग में पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी को www.upneet.gov.in पर लॉगिन करते हुए पंजीकरण फार्म में समस्त अपेक्षित विवरण अंकित करते हुए पासवर्ड बनाना होगा। उक्त पासवर्ड का उपयोग अभ्यर्थी को च्वाइस लॉक के समय किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात् पंजीकरण/धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी।
- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों में से च्वाइस फिलिंग करेंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के वरीयता क्रम से ही उसकी मेरिट कम विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों के सापेक्ष आवंटन किया जायेगा।
- आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- किसी अभ्यर्थी के आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी दशा में आवंटित/प्रवेशित

अभ्यर्थी का स्थानान्तरण/परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है , तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी:-

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD)	ST
2	SC (PwD)	SC
3	UR (PwD)	UR
4	OBC (PwD)	OBC
5	ST	SC
6	SC	UR
7	OBC	UR

6. प्रवेश प्रक्रियाः -

- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि प्रशिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में संबंधित कालेज में जमा करना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण-पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया मे यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण-पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है , तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी , जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-527/71-2-2016-178/2015, दिनांक 23 फरवरी 2016 के क्रम में पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क 20,000/- लिया जायेगा।

7. स्टाइपेन्डः -

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-527/71-2-2016-178/2015, दिनांक 23 फरवरी 2016 के क्रम में पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को कोई स्टाइपेन्ड देय नहीं होगा।

8. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में :-

- अभ्यर्थी को सीट का आवंटन (Allotment) प्रवेश नही है। आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त नहीं करता है , तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश के उपरांत यदि अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग पत्र देता है , तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा समस्त प्रशिक्षण शुल्क जब्त कर लिया

जायेगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो उसे भी अभ्यर्थी को वापस करनी होंगी।

9. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन :-

यू0 पी0 नीट पी0 जी0-2023 की काउंसिलिंग हेतु गठित काउंसिलिंग बोर्ड की भॉति पी0 सी0 पी0 एन 0 डी0 टी0 पाठ्यक्रम की काउन्सिलिंग सम्पन्न करायी जायेगी।

10. समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित माननीय न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally Signed by
श्रीप्रकाश गुप्ता
Date: 01-02-2024 14:33:30
Reason: Approved

(श्री प्रकाश गुप्ता)
विशेष सचिव।